

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञापन संख्या - पीआरओ 149/2021

सत्र 2021-2023 के लिये राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/ गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) के संबंध में आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/ गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों में सत्र 2021-2023 में इण्टरमीडिएट कक्षा में OFSS (Online Facilitation System For Students) प्रणाली से नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) जारी किया गया, जिसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों को दिनांक 18.08.2021 से 04.09.2021 तक नामांकन लेने का अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार, प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है।

द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) दिनांक 12.09.2021 को जारी किया जायेगा, जिसके आधार पर संवर्धित संस्थानों में दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। शिक्षण सत्र प्रारंभित नामांकित विद्यार्थियों की विवरणी को अग्रतः दिनांक OFSS Portal [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) पर update करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उल्लेखनीय है कि देश एवं राज्य वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। ऐसे में नामांकन के समय निम्न सावधानियों के बरतने ज़रूरी की आवश्यकता है:-  
(i) सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना। इसके लिए दो विद्यार्थियों के बीच दो मीटर की दूरी बनाए रखना।  
(ii) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आने वाले विद्यार्थियों/अभिभावकों तथा कार्यालय कर्मियों के व्यक्त-सम्पर्क की व्यवस्था करना एवं उनके हाथों को सैनिटाइज (Sanitize) करना।  
(iii) सभी कार्यालय कर्मियों एवं विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

3. OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त उपर्युक्त श्रेणी के +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में संकायवार सीट की संख्या एवं विद्यार्थियों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में दिये गये संस्थान, संकाय के विकल्प एवं आरक्षण कोटि के आधार पर नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची का निर्माण किया गया है। इस द्वितीय चयन सूची का निर्माण निम्नांकित विनियमों के आधार पर किया गया है:-  
(i) +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संकायवार संख्या।  
(ii) विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन में भरे गये विद्यार्थी/संकाय का विकल्प।  
(iii) विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक।  
(iv) आरक्षण संबंधी प्रभावी प्राधान्य।

4. वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उतीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है) का विकल्प दिया है, तो ऐसे मानकों को उस विद्यार्थियों को राजस्व संरक्षण के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलती है, तो उनका चयन यथासंभव अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। यह प्राधान्य उस संस्थान में संबंधित संकायवार सीटों की रिक्ति, छात्र के प्राप्तांक एवं आरक्षण कोटि के आधार पर ही मान्य होगा। उपरोक्त प्राधान्य अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई उत्तीर्ण की है, को छुड़ कर चयन दिया है और उनका चयन उनके मूल एवं आरक्षण के आधार पर आवेदन भरने के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छुड़ नमकर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिए चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छुड़ विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिए चयनित किया जायेगा। किन्तु किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के लिए यह प्राधान्य उनकी अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या के अंतर्गत ही अनुमान है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या (आरक्षण श्रेणीवार) से अधिक उत्ती संस्थान के विद्यार्थियों के इण्टर में नामांकन के लिए आवेदन दिया है तो वैसे स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से सीमित संख्या (अधिकतम सीट संख्या के अनुसार) का ही इस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जाएगा- शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को उनका वह संस्थान नहीं दिया गया है- बल्कि उनको मेधा सूची एवं उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर उनका संस्थान आवंटित किया गया है।

5. सूत्र 2021-2023 के लिये इण्टर +2 कक्षा में नामांकन हेतु जो आवेदन पत्र जमा किया गया था, उसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों का विकल्प दिया गया था, उनमें से एक प्राथमिकता के आधार पर तथा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%) आरक्षण कोटि के अनुसार संस्थान के संबंध में उपर्युक्त कठिनाई (v) के प्राधान्य (लेट डाटा हो तो) के अन्तर्गत इण्टर +2 में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में चयनित विद्यार्थियों का निम्नानुसार +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय आवंटित किया गया है।

6. वैसे आवेदकों को लिये, जिनका चयन प्रथम चयन सूची में हुआ था और रोलॉइड-अप के बाद उनका चयन द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में हुआ है:-  
(i) ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कृपया आपके द्वारा Slide Up के लिये किये गये अनुरोध के आधार पर आपको इस दूसरी चयन सूची (Second Selection List) में कॉलेज/संकाय आवंटित किया गया है, अतः आपको पूर्व के कॉलेज में लिये गये नामांकन (Admission) को रद्द (Cancel) कर दिया गया है तथा आपकी सीट को दूसरे विद्यार्थी को आवंटित करने हेतु अग्रतः कार्रवाई की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने सूचना पत्र में अंकित महाविद्यालय में आप अपना नामांकन दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच अवश्य करा लें। अगर आपको द्वारा उक्त निर्धारित स्थिति तक नामांकन नहीं कराया जाता है, तो आपका अस्थायित्व रद्द कर दिया जायेगा। साथ ही यदि आप इस संस्थान/संकाय से संतुष्ट नहीं हैं, तो दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच बेहतर कॉलेज/संकाय में नामांकन हेतु ऑनलाईन रूप से वेबसाइट [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) पर पुनः Slide Up Option का उपयोग कर सकते हैं या Google Play Store से BSEBOFSS नामक APP डाउनलोड करके मोबाइल पर उस APP में Slide Up विकल्प भर सकते हैं ताकि उनको तीसरी चयन सूची में बेहतर कॉलेज/संकाय/विद्यार्थी आवंटित करने हेतु विचार किया जा सके। यह Slide Up विकल्प तभी मान्य (Valid) होगा, जब आपने दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच अपने आवंटित कॉलेज/संकाय में नामांकन (Admission) करा लिया है। यदि आप आवंटित कॉलेज/संकाय में निर्धारित स्थिति तक नामांकन नहीं कराते हैं, तो आपको द्वारा Slide Up विकल्प भरने पर उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी तथा आपका आवेदन एवं अस्थायित्व (Candidature) रद्द कर दिया जायेगा।

(ii) आपको पुनः सूचित किया जाता है कि कृपया उक्त आवंटित संस्थान में आप अपना नामांकन दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच अवश्य करा लें। अगर आपको द्वारा उक्त निर्धारित स्थिति तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो आपका अस्थायित्व रद्द कर दिया जायेगा। यदि आप इस महाविद्यालय/संकाय से संतुष्ट नहीं हैं और अगर आप आवंटित द्वारा दिये गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में करना चाहते हैं, तो आप दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच OFSS Portal में Login करके कम्प्यूटर पर या मोबाइल एप BSEBOFSS डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर Slide Up Option पर अपनी सहमत अवस्था में तालिका प्रकाशित होने वाली तृतीय चयन सूची में आपके द्वारा भरी गयी उच्चतर विकल्प (Higher Preference) वाला कॉलेज/संकाय आवंटित किया जा सके। यह Slide Up विकल्प तभी मान्य (Valid) होगा, जब आपने दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच आवंटित कॉलेज/संकाय में नामांकन (Admission) करा लिया है। यदि आप आवंटित कॉलेज/संकाय में निर्धारित स्थिति तक नामांकन नहीं कराते हैं, तो आपको द्वारा Slide Up विकल्प भरने पर उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी तथा आपका आवेदन एवं अस्थायित्व (Candidature) रद्द कर दिया जायेगा।

(iii) कृपया ध्यान दें कि Slide Up विकल्प भरने के लिये Computer पर वेबसाइट [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) के अलावा मोबाइल से भी Slide Up विकल्प भरना जा सकता है। इसके लिये जो आवेदक मोबाइल एप के माध्यम से Slide Up विकल्प भरना चाहते हैं, तो उनको Google Play Store से BSEBOFSS नामक APP डाउनलोड करना होगा। इस एप (BSEBOFSS) को डाउनलोड करने के पश्चात् आवेदक को अपने मोबाइल में इस एप में User ID एवं Password से Login करना होगा तथा उसके द्वारा Slide Up विकल्प भरने की सहमति देनी होगी। उसके पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर SMS के माध्यम से OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। इस OTP (One Time Password) को इस एप में भरने के पश्चात् आवेदक को Confirmation Code SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। Confirmation Code प्राप्त नहीं होने के स्थिति में Slide Up विकल्प भरना हुआ नहीं माना जायेगा। यदि आवेदक को Confirmation Code प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। Confirmation Code प्राप्त होने के पश्चात् ही यह माना जायेगा कि आवेदक का Slide Up विकल्प भरना जा चुका है। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वो यह Confirmation Code कागज पर लिखकर भविष्य के लिये सुरक्षित रख लें।

(iv) रोलॉइड अप (Slide Up) प्रक्रिया - द्वितीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थी दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 तक अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना विकल्प भर सकते हैं, जिससे कि तृतीय चयन सूची तैयार करने के समय अन्य नाम पर विचार किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित स्थिति दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच में वे अपना नामांकन आवंटित संस्थान/संकाय में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर तृतीय चयन सूची में कोई विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा और उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। विद्यार्थी Slide Up विकल्प में न तो कोई नया संस्थान/संकाय बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।

(v) द्वितीय प्रथम के पश्चात् तृतीय चयन सूची (Third Selection List) प्रकाशित की जायेगी।

(vi) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संस्थाओं के सभी संकायों का द्वितीय कट ऑफ लिस्ट (Second Cut Off List) देख सकते हैं।

(vii) आपसे अनुरोध है कि आप अपने आवंटित महाविद्यालय/संकाय में दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच अपने User ID एवं Password के साथ OFSS Portal में Login कर नया विकल्प सूची में +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय भरें, ताकि उनको तीसरी चयन सूची में उनके अंक एवं आरक्षण श्रेणी के आधार पर +2 विद्यालय/महाविद्यालय आवंटित किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वो नया विकल्प (Choice) के रूप में किसी +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय को चुनें/भरने के बहरते सहित के वेबसाइट [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) को खोल कर विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के अलग-अलग विकल्प का द्वितीय कट ऑफ लिस्ट (Second Cut Off List) अवश्य देख लें, ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल जाये कि आपके अंक एवं आरक्षण के आधार पर आपको तृतीय चयन सूची में किन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों/संकायों में Admission मिल सकता है।

(viii) अतः किसी किसी विद्यार्थी का चयन द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच अपने User ID एवं Password के साथ OFSS Portal में Login कर नया विकल्प सूची में +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय भरें, ताकि उनको तीसरी चयन सूची में उनके अंक एवं आरक्षण श्रेणी के आधार पर +2 विद्यालय/महाविद्यालय आवंटित किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वो नया विकल्प (Choice) के रूप में किसी +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय को चुनें/भरने के बहरते सहित के वेबसाइट [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) को खोल कर विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के अलग-अलग विकल्प का द्वितीय कट ऑफ लिस्ट (Second Cut Off List) अवश्य देख लें, ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल जाये कि आपके अंक एवं आरक्षण के आधार पर आपको तृतीय चयन सूची में किन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों/संकायों में Admission मिल सकता है।

(ix) अतः ऐसे विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 के बीच अपने User ID एवं Password के माध्यम से न्यूनतम 10 (दस) तथा अधिकतम 20 (बीस) विकल्प भरें, ताकि उनको अंक एवं आरक्षण श्रेणी के अनुसार उनका विकल्प (Choice) के आलोक में जारी होने वाली तृतीय चयन सूची में उनके नाम पर विचार किया जा सके।

9. नामांकन करने के लिये आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रुपये आवेदन शुल्क लेने का प्राधान्य था, जिसमें 150/- रुपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रुपये कॉलेज शुल्क निर्दिष्ट था। अतः सभी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन

उपरोक्त संस्थाओं में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि बैंक ड्रॉप्ट के माध्यम से संचित उन संस्थाओं को भेज देनी। अतः कोई भी संस्थान यदि आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेगे सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।

10. उल्लेखनीय है कि प्रथम नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय चयन सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हुआ है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन करना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय एवं अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हों, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन कराने में बार-बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यावहारिक अड़िचाई हो सकती है। अतः इन अंतिम के OFSS के अंतर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्राधान्य किया गया है:-

(i) OFSS के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाये।  
(ii) उपर्युक्त यदि किसी विद्यार्थी का प्रथम चयन सूची अथवा आगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाये।  
(iii) संपूर्ण चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय चयन सूची के उपरान्त नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहें, उस संस्थान के प्रदान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपित सहाई की जायेगी:-  
(क) अगर नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्रगत कर दी गयी है।  
(ख) अगर यह नामांकन द्वितीय अथवा तृतीय है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है। अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि विद्यार्थी को पूर्व के नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अंदर वापस लेनी दी जायेगी और अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उतनी राशि अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाये। साथ ही विद्यार्थी को पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अंदर उक्त राशि विद्यार्थी से प्राप्त कीये गये नामांकन शुल्क को उक्त विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाये।

11. नामांकन हेतु छात्रों/छात्राओं के लिये आवश्यक निर्देश -  
Computer से अपना नामांकन पत्र को प्रति प्रयोग करना Common Application Form की प्रति एवं अपना मोबाइल संख्या जो उन्होंने नामांकन Application Form के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखेंगे।  
• सर्वप्रथम आवेदन किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS के वेब पोर्टल [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) पर जायेंगे।  
• उसके पश्चात् आवेदन हेतु पेज पर दिये गये लिंक "इण्टरमीडिएट कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन से संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय एवं संकाय" की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगे।  
• लिंक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलना। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं किसी मोबाइल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भर है, उस स्थिति में सही करेंगे।  
• अग्रे बहने के पहले आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेने की सुविधाएँ सही भी गयी हैं।  
• वांछित सूचना खालने के पश्चात् आवेदक चयनित संबंधित महाविद्यालय, संकाय एवं विश्व देख सकते हैं।  
• उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना नामांकन पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लें।  
• डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये पत्र, Common Application Form का प्रिंट आउट सभी अपने प्रमाण पत्र की मूल प्रिंट, सभी दो-दो फोटो प्रिंट एवं अपना 06 प्रति फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करवायें।

12. संस्थानों के प्राचार्यों के लिये आवश्यक निर्देश -  
(i) जिस महाविद्यालय में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित हुआ है उस संस्थान के Admission Incharge को पोर्टल [portal.ofssbihar.in](http://portal.ofssbihar.in) पर Login करने के सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर Update हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी -  
• किसी भी वेब ब्राउजर में [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) वेबसाइट खोनी।  
• खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।  
• "Portal Login" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया वेब पेज खुलना, जिसमें महाविद्यालय का User ID एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।  
• यदि संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।  
• Login करने के पश्चात् प्रमाणित प्राचार्य को अपने ईमेल आईडी में बाई तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।  
• "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down में से संबंधित संकाय एवं विश्व चुन लें।  
• उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके संस्थान वाले बैंक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।  
• "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।  
• OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में दर्ज हो जायेगा और इस प्रकार वह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस महाविद्यालय में हो गया है।  
• उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपनाया संस्थानों को लिये उचित आवश्यक है, क्योंकि OFSS पोर्टल में आवेदक का नाम दर्ज हो जाने पर ही यह माना हुआ माना जायेगा, ताकि तीसरी चयन सूची जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी होगी तो संबंधित महाविद्यालय के रिक्त सीटों के लिये ही चयन सूची जारी हो सके।

(ii) द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 तक संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। अतः संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS पोर्टल के कॉलेज Login में दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपडेट करते रहें। दिनांक 12.09.2021 को नामांकित विद्यार्थी का Update दिनांक 13.09.2021 को, दिनांक 13.09.2021 को नामांकित विद्यार्थी का Update दिनांक 14.09.2021 को, दिनांक 14.09.2021 को नामांकित विद्यार्थी का Update दिनांक 15.09.2021 को, दिनांक 15.09.2021 को नामांकित विद्यार्थी का Update दिनांक 16.09.2021 को, दिनांक 16.09.2021 को नामांकित विद्यार्थी का Update दिनांक 17.09.2021 को एवं दिनांक 17.09.2021 को नामांकित विद्यार्थी का Update दिनांक 18.09.2021 को करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे करना अनिवार्य इच्छा है। ताकि संबंधित विद्यार्थी जिसका नामांकन विद्यालय/महाविद्यालय में ले लिया है, उसकी सीट OFSS पोर्टल में भरी गयी गयी जाये एवं द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थाओं में रिक्त सीटों की सूची OFSS पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर तृतीय चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अनुरोध महत्वपूर्ण है, इच्छा है संबंधित संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखें। अतः ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निदेश दिया जाता है कि वे अपने संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों की सूची को हर-हाल में दिनांक 18.09.2021 तक OFSS पोर्टल पर ऑनलाईन रूप से Update करना सुनिश्चित करेंगे। अन्धधाम भ्रम में सीटों को रिक्त करने से जिन विद्यार्थियों को कतिनाई होगी, उसके लिये संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य ही उत्तरदायी माने जायेंगे।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ  
(क) द्वितीय चयन सूची जारी करने के पश्चात्-  
(ख) नामांकन की तिथि - दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 तक  
(ग) महाविद्यालय द्वारा OFSS पोर्टल [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) में Login कर सीट अवरुद्ध किये जाने की अधिकतम तिथि - दिनांक 18.09.2021 तक  
(घ) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् Slide Up की प्रक्रिया के लिये ऑनलाईन आवेदन की तिथि - दिनांक 12.09.2021 से 17.09.2021 तक  
(ङ) तृतीय चयन सूची के प्रकाशन की सूचना बनाने की तिथि -

13. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कतिनाई उत्पन्न हो, तो हेल्पलाइन न्यूनतम संख्या 0612-2230009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।  
संयुक्त सचिव (OFSS)